न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 57/2008

1. किशनसिंह पुत्र श्री गोपी जी
2. जीवण पुत्र श्री गोपी जी
3. सरदार पुत्र श्री गोपी जी
   समस्त जाति रावत निवासी भवानीखेडा नरवर तहसील व जिला अजमेर

.........प्रार्थीगण

बनाम

1. कानसिंह पुत्र श्री सेवाराम जाति दरोगा निवासी राजस्थान गृह रक्षक दल (होमगार्ड) नसीराबाद जिला अजमेर
2. दशरथ सिंह पुत्र श्री सेवाराम
3. ओमप्रकाश पुत्र श्री सेवाराम
4. लादूसिंह (मृतक) जरिये वारिसान :–
   4/1 श्रीमति शांति बेवा श्री लादू सिंह
   4/2 सुमेर पुत्र श्री लादू सिंह
   4/3 प्रहलाद पुत्र श्री लादू सिंह
   जाति दरोगा निवासी म0नं0 1193, 1194 प्रताप नगर वार्ड नम्बर 51 अजमेर तहसील व जिला अजमेर
5. भंवरी पुत्री श्री सेवाराम
6. गीता पुत्री श्री सेवाराम
   जाति दरोगा निवासी नरवर तहसील व जिला अजमेर
7. राजस्थान सरकार जरिये आवंटन सलाहकार समिति अजमेर
8. बरकत अली पुत्र श्री हैदर अली, जाति मुसलमान निवासी लोहाखान, नई बस्ती अजमेर
9. जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री जयसिंह जाति राजपूत, निवासी मु.पो. बाजवास वाया परबतसर जिला नागौर
10. धर्मवीर सिंह पुत्र श्री लादूसिंह जाति राजपूत निवासी नाशनवा पोस्ट सुटोट तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर
11. उप पंजीयक अजमेर प्रथम

....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970

———

उपस्थित :–

1. श्री अजीत सिंह राठौड़ — अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री वी0 पी0 सिंह राजावत — अभिभाषक अप्रार्थी 1 से 3, 5, 6, 8 से 10
3. श्री ओम प्रकाश गुर्जर, — राजकीय अभिभाषक

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

—: आदेश :—

दिनांक— 07.07.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 2722 रकबा 5 बीघा किस्म बंजर एक ग्राम भवानीखेड़ा नरवर तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित है, उक्त आराजियात सिवायचक आराजीयात है एवं भूमि की भौतिक स्थिति वर्तमान में बडे नाले के रूप में है। भवानीखेडा नरवर में अवस्थित पहाड़ियों का पानी बारिश में बहकर उक्त नाले में होता हुआ ग्राम भवानीखेडा नरवर के तालाब में जाता है। उक्त आराजीयात दिनांक 21.11.1975 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा रामदेव पुत्र श्री बींजा जाति रेगर निवासी नरवर को आवंटन की गई लेकिन उसके द्वारा न तो कभी काश्त की गई एवं न ही उसका नाम उक्त आवंटन आदेश के आधार पर अधिकार अभिलेख में दर्ज हुआ एवं आराजीयात बंजर ही रही तत्पश्चात उक्त भूमि को जरिये आवंटन आदेश दिनांक 15.1.1996 को सेवाराम पुत्र श्री जगन्नाथ जाति दरोगा निवासी नरवर को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटित कर दी गई। जिससे रूष्ट होकर आवंटन निरस्त बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3, 5, 6, 8 से 10 की ओर से श्री वी0 पी0 सिंह राजावत अभिभाषक उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 4 नोटिस बाद तामिल अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

सर्वप्रथम उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी पर सुना गया। वकील प्रार्थी ने कथन किया किया उक्त प्रकरण में निहित विवादित आराजीयात से लगती हुई भूमि खसरा नं. 2724 से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज यथा जिला कलक्टर अजमेर द्वारा निष्पादित लीजडीड दिनांक 28.04.1992 एवं कनवेन्स डीड दिनांक 09.08.1996, नक्शा ट्रेस एवं विक्रय पत्र रिकार्ड पर लिया जाना अत्यन्त न्यायोचित हैं क्योंकि उक्त दस्तावेजात में लीज डीड में अंकित भूमि के पडौस एवं उनकी भौतिक स्थिति अंकित की गई हैं तथा उक्त दस्तावेज जिला कलक्टर अजमेर द्वारा निष्पादित किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लेने का आदेश प्रदान करें। वकील अप्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के कथन राजस्व रिकॉर्ड के विपरीत होने से अस्वीकार है जिस दस्तावेज के माध्यम से विपक्षीगण अप्रार्थीगण को आंवटित भूमि को नाला होना कथन कर रहे हैं वह प्रस्तुत प्रकरण में कतई असंगत होने से रिकार्ड पर नहीं लिया जा सकता क्योंकि यदि किसी अन्य दस्तावेज में पड़ौस की भूमि की किस्म राजस्व रेकार्ड में वर्णित किस्म से भिन्न दर्ज कर दी गयी हैं तो वह स्वीकार योग्य नहीं हैं। राजस्व रेकार्ड के विपरीत मनमर्जी से किसी भूमि की किस्म को परिवर्तित करना कानूनन स्वीकार योग्य नहीं हैं और न ही विधिसम्मत हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी खारीज फरमायें। हमने उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी पर सुनी बहस का रेकॉर्ड पत्रावली अवलोकन किया। उक्त दस्तावेजात में लीज डीड में अंकित भूमि के पड़ौस एवं उनकी भौतिक स्थिति अंकित की गई हैं तथा उक्त दस्तावेज जिला कलक्टर अजमेर द्वारा निष्पादित किया गया है। लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी न्यायहित में स्वीकार करना हम उचित समझते हैं। अतः

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाता हैं। तत्पश्चात् उपस्थित उभयपक्ष की मूल प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई।

प्रार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओ की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 2722 रकबा 5 बीघा किस्म बंजर एक ग्राम भवानीखेड़ा नरवर तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित है, उक्त आराजियात सिवायचक आराजीयात है एवं भूमि की भौतिक स्थिति वर्तमान में बडे नाले के रूप में है। भवानीखेडा नरवर में अवस्थित पहाड़ियों का पानी बारिश में बहकर उक्त नाले में होता हुआ ग्राम भवानीखेडा नरवर के तालाब में जाता है। उक्त आराजीयात दिनांक 21.11.1975 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा रामदेव पुत्र श्री बींजा जाति रेगर निवासी नरवर को आवंटन की गई लेकिन उसके द्वारा न तो कभी काश्त की गई एवं न ही उसका नाम उक्त आवंटन आदेश के आधार पर अधिकार अभिलेख में दर्ज हुआ एवं आराजीयात बंजर ही रही तत्पश्चात उक्त भूमि को जरिये आवंटन आदेश दिनांक 15.1.1996 को सेवाराम पुत्र श्री जगन्नाथ जाति दरोगा निवासी नरवर को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटित कर दी गई। जिसके वारिसान अप्रार्थीगण है लेकिन श्री सेवाराम अथवा अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजीयात पर कभी भी काश्त नहीं की गई क्योंकि भूमि भौतिक रूप से नाला की स्थिति में होने से उक्त भूमि पर कृषि कार्य किया जाना कतई असंभव है लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा गैर कानूनी रूप से श्री सेवाराम की विरासत जरिये नामांतकरण संख्या 155 दिनांक 11.2.2008 को तस्दीक करवा ली एवं बिना कब्जे के अन्यत्र रहन, बेचान, मुंतकिल करने पर सख्त आमादा हैं जबकि उक्त आराजीयात गांव के मवेशियो के चरने एवं फिरने–डोलने में कदीम से प्रयोग में आ रही है एवं राजकीय भूमि है। विवादित आराजियात आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 21.11.75 को रामदेव पुत्र श्री बींजा जाति रेगर निवासी नरवर को आवंटन की गई थी। उक्त आवंटन आदेश को आज दिनांक निरस्त नहीं किया गया, अर्थात् उक्त आवंटन आदेश आज भी प्रभाव में है, लेकिन श्री रामदेव पुत्र श्री बींजा जाति रेगर के नाम आवंटन आदेश दिनांक 21.11.75 की पालना में अधिकार अभिलेख में कभी अमल दरामद नहीं किया गया एवं ना ही श्री रामदेव द्वारा उक्त आराजीयात को कभी काश्त किया गया जो संलग्न खसरा गिरदावरियों से सिद्ध है। तत्पश्चात जरिये पश्चातवर्ती आवंटन आदेश दिनांक 15.1.96 के तहत उक्त भूमि श्री सेवाराम पुत्र श्री जगन्नाथ जाति दरोगा को आवंटित कर दी गई। विवादित आराजीयात पर सेवाराम अथवा अप्रार्थीगण का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा एवं आवंटन आदेश दिनांक 15.1.96 के पश्चात 10 वर्ष ही नहीं वर्तमान तक भी सेवाराम अथवा उसके वारिसान द्वारा कभी भी कोई काश्त नहीं की गई जो खसरा गिरदावरी सम्वत् 2044 लगायत 2062 से सिद्ध है। उक्त आराजीयात भौतिक रूप से नाले के रूप में अवस्थित है। जिसमें काश्त किया जाना असम्भव है, क्योंकि बारिश होने पर ग्राम भवानीखेडा नरवर स्थित पहाड़ियों का पानी पहाड़ियो से बहकर उक्त नाले (विवादित भूमि) में होता हुआ ग्राम भवानीखेडा नरवर के तालाब में जाता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर सहायक कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी अजमेर राजस्व अभियान पंचायत समिति श्रीनगर द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 15.1.96 को निरस्त फरमाया जावे एवं उक्त भूमि सिवायचक दर्ज करने का आदेश प्रदान करे।

अप्रार्थी अभिभाषक ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण के पिता सेवाराम पुत्र जगन्नाथ को हुए आवंटन दिनांक 15.01.1996 के विरूद्ध आधारहीन रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

क्योंकि अप्रार्थीगण के पिता स्व0 सेवाराम भूमिहीन कृषक होकर आवंटन की सभी योग्ताओ को पूरा करते थे एवं विवादित आराजीयात वरवक्त आवंटन राजकीय भूमि दर्ज होकर आवंटन के लिए उपलब्ध भूमि थी जो पूर्व में भी विपक्षीगण के कथनानुसार सन् 1975 में रामदेव नाम व्यक्ति को आवंटन की गयी थी लेकिन उसके द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नही करने एवं भूमि पर कब्जा प्राप्त नहीं करने के कारण उसका आवंटन स्वतः निरस्त होने से विवादित आराजी अप्रार्थीगण के पिता सेवाराम को विधिवत रूप से आवंटन की गयी थी। जिसमें किसी भी प्रकार का फ्रोड, मिस रिप्रजेन्टेशन अथवा विधिक शर्तो का उल्लंघन नही हुआ है। विपक्षीगण विवादित आराजी को भौतिक रूप से नाला कथन कर आवंटन को चुनौती दी है जबकि न तो राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजी नाले के रूप में दर्ज है और न ही भौतिक रूप से कोई नाला ही विद्यमान है। विपक्षीगण स्वयं अपने कथनो में विविधता एवं विरोधाभास लिए हुए है कभी तो विवादित आराजी को बंजड़ होना कथन करते है कही नाला होना कथन करते है, कहीं पर मवेशीयों के चरने, फिरने, डोलने हेतु राजकीय भूमि होना कथन करते है, उक्त समस्त कथन अपने आप विरोधाभाषी होना से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। विपक्षीगण विवादित आराजी पूर्व में रामदेव पुत्र बींजा को आवंटन होना एवं उक्त आवंटन निरस्त हुए बिना अप्रार्थीगण के पिता को पश्चातवर्ती तौर पर आवंटन होना कथन कर निरस्त किये जाने का कथन किया है जबकि उक्त आधार विपक्षीगण को उठाने का कोई अधिकार नहीं है अगर कोई व्यक्ति यह कथन करते हुए आवंटन को चुनौति दे सकता है तो वह केवल और केवल उक्त रामदेव अथवा उसके वारिसान हो सकते है। विपक्षीगण अथवा उनके पिता ने विवादित आराजी को कभी काश्त नहीं किया तो यह कथन कतई मिथ्या एवं आधारहीन है। अप्रार्थीगण व उनके पिता ने विवादित आराजी जो बंजड थी, को कृषि योग्य बनाने हेतु लाखो रूपये खर्च कर वर्तमान में काश्त कर रहे है वैसे भी काश्त नहीं करने के आधार पर आवंटन निरस्त की शर्त 1999 में ही कानून से विलोपित की जा चुकी है, एवं मात्र इस आधार पर किसी सद्भावित आवंटी का आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। अप्रार्थीगण पिछले 29 वर्षो से विवादित आराजी पर बहैसियत आवंटी काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। चूंकि खातेदारी अधिकार आवंटन की समस्त शर्तो की पालना के उपरान्त ही प्राप्त होते है ऐसी स्थिति में इतने पुराने आवंटन को मिथ्या एवं मनगढन्त आरोपो के आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–आवंटन नियम 1970 को खारिज फरमावे।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

हमने उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया रेकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित आराजियात आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 21.11.75 को रामदेव पुत्र श्री बींजा जाति रेगर निवासी नरवर को आवंटन की गई थी। उक्त आवंटन आदेश के निरस्तीकरण बाबत कोई दस्तावेज साक्ष्य रेकॉर्ड पर मौजूद नहीं है फिर पश्चावर्ती आवंटन आदेश दिनांक 15.1.1996 से अप्रार्थीगण श्री सेवाराम पुत्र श्री जगन्नाथ जाति दरोगा निवासी नरवर को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा भूमि आवंटित कर दी गई, जो विधिक रूप से सम्भव नहीं था। आवंटी सेवाराम के वारिसान अप्रार्थीगण है लेकिन श्री सेवाराम अथवा अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजीयात पर कभी भी काश्त नहीं किया गया क्योंकि भूमि भौतिक रूप से नाला की स्थिति में होने से उक्त भूमि पर कृषि कार्य किया जाना कतई असंभव हैं। जबकि उक्त आराजीयात गांव के मवेशियो के चरने एवं फिरने–डोलने में कदीम से प्रयोग में

जिला कलेक्टर
अजमेर

आ रही है। उक्त आराजीयात भौतिक रूप से नाले के रूप में अवस्थित है। जिसमे काश्त किया जाना असम्भव है, क्योंकि बारिश होने पर ग्राम भवानीखेडा नरवर स्थित पहाड़ियों का पानी पहाड़ियो से बहकर उक्त नाले (विवादित भूमि) में होता हुआ ग्राम भवानीखेडा नरवर के तालाब में जाता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 27.07.2012 के साथ संलग्न जिला कलक्टर द्वारा निष्पादित लीजडीड दिनांक 28.04.1992 एवं कनवेन्स डीड दिनांक 09.08.1996 में वादग्रस्त भूमि के पड़ौसी खसरा नं0. 2724 की लीजडीड में चतुर्थ सीमाओं में पश्चित में नाला व उत्तर में नाला अंकित किया गया हैं। अप्रार्थीगण ने विवादित भूमि के सबंध में कब्जेकाश्त सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किए गए है। अतः प्रार्थना पत्र नियम 14(4) राज. भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में स्वीकार कर ग्राम भवानीखेड़ा तहसील अजमेर जिला अजमेर के आराजी खसरा नम्बर 2722 रकबा 5 बीघा किस्म बंजर भूमि का अप्रार्थी के पूर्वज श्री सेवाराम पुत्र जगन्नाथ के हक में किया गया आवंटन/नियमन निरस्त किया जाता है तथा भूमि सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार तत्काल नामान्तरकरण दर्ज कर राजहित में कब्जा प्राप्त करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 07.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोकबन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर
अजमेर